न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व वाद पत्र सं0 97/2014

श्री जुहरूद्दीन बालिग पुत्र समशुद्दीन जाति साई मुसलमान निवासी बाघमाल तहसील मसूदा, जिला अजमेर।

—— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।

—— प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा हक खातेदारी एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

:– निर्णय :– दिनांक 14.05.2016

प्रकरण के आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नन्दवाडा पर पेश होने पर वादी अपने अभिभाषक के साथ उपस्थित आया। पैरोकार प्रतिवादीगण उपस्थित। उन्हें सुना गया। वकील वादी के तर्क रहे कि विवादित भूमि खसरा न0 225 वाकैग्राम शिवपुरी का मौके पर 03–12–00 बीघा रकबा है जो नक्शे में सही दर्शाया गया है जबकि जमाबंदी में इसका रकबा 01–12–00 बीघा दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त किया जावे इसी आशय का मैंने दावा प्रस्तुत किया है जिसे मेरे पक्ष में डिक्री कराने की कृपा करावे। विर्तक में पैरोकार प्रतिवादी ने तर्क दिये कि विवादित अराजी सरकारी सिवाय चक खाते की भूमि थी जिसे देवा वल्द गोपी गूजर को आवंटित की गई थी। देवा को खसरा न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा जो जमाबंदी में अंकित था उसे आंवटित किया गया था। वादी ने खातेदार देवा से सन् 2000 में खरीद की उसने 01–12–00 बीघा भूमि ही खरीद की है। वादी के नाम यह नामान्तकरण सं0 425 दिनांक 20.05.2002 से लगी है। वादी मात्र 01–12–00 बीघा का ही खातेदार है। हमने अपने प्रतिवाद पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा है कि विवादित अराजी खसरा न0 225 का रकबा 01–12–00 बीघा है तथा नक्शा किश्तवार में भी रकबा बराबरी के अनुसार 01–12–00 बीघा ही बनता है। प्रकरण रकबा दुरूस्त का नहीं बनता। वादी प्रस्तुत वाद पर किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। अतः वाद सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम शिवपुरी की वर्किंग जमाबंदी सं0 2041 में खसरा न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा सरकारी खाते दर्ज है। जमाबंदी सं0 2042 से 2046 के खाता सं0 243 में मूल खातेदार देवा वल्द गोपी गूजर गैर खातेदार दर्ज है तथा 2051 से 2054 में नामान्तकरण सं0 257 दिनांक 21.03.1996 से उसे अराजी न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा में खातेदारी मिली। जमाबंदी 2055 से 2058 के खाता सं0 97 में नामान्तकरण सं0 425 दिनांक 20.05.2002 से विवादित अराजी खसरा न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा वादी के नाम लगी है। उन समस्त अभिलेखों में खसरा न0 225 का रकबा 01–12–00 बीघा अभिलेख की रोशनाई में प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है :–

तनकीयत 1. – आया वादी विवादित अराजी न0 225 रकबा 01–12–00 की अपेक्षा रकबा 03–12–00 बीघा घोषित करवाने एवं उसमें खातेदार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है ? :– वादी

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

इसका भार वादी पर रहा है उसने इसकी साबिति के लिए ग्राम शिवपुरी की जमाबंदीयों की जो प्रतियें पेश की है उनके अनुसार विवादित भूमि खसरा न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा ही है। उसने

खरीद दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादी प्रस्तुत दस्तावेजात से विवादित अराजी का रकबा 03–12–00 बीघा रकबा सिद्ध नहीं कर पाया है अतः तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकीयत 2. – आया वादी का वाद विवादित अराजी का रकबा अभिलेखानुसार सही होने से खारिज योग्य है ? :– प्रतिवादी

प्रतिवादी पर इसका भार रहते हुए उसने अपने तर्कों एवं दस्तावेज साक्ष्य तथा प्रतिवाद पत्र द्वारा यह सिद्ध किया है कि विवादित अराजी का रकबा मात्र 01–12–00 बीघा ही है। तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकीयत 3. – अनुतोष ?

प्रकरण में कायम दोनों तनकीयात वादी के विरूद्ध तय पाई गई है। वादी अपने वाद पत्र पर अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं पाया जाता।

अतः ग्राम शिवपुरी तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 225 रकबा 01–12–00 बीघा की अपेक्षा रकबा 03–12–00 बीघा होने की घोषणा कराकर दुरूस्ती कराने के लिए वादी द्वारा लाया गया वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम नन्दवाडा पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.25 12:00:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: